न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 39/2020

किशन पुत्र दिलीप सिंह जाति गूजर निवासी नगला खार तहसील रूदावल जिला भरतपुर। .....अपीलान्ट

बनाम

नायव तहसीलदार रूदावल जिला भरतपुर .....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश नायव तहसीलदार रूदावल दिनांक 27.10.2020 व मुकदमा सरकार बनाम किशन मि0न0 04/20

उपस्थित :– 1. श्री जितेन्द्र कुमार कर्दम, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 22.09.2021

अपीलान्ट ने यह अपील खिलाफ आदेश नायव तहसीलदार रूदावल दिनांक 27.10.2020 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्ट को ग्राम पहाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 47 रकवा 0.54 है0 किस्म गैरमुमकिन नाला पर अतिक्रमरण मानते हुये बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने खिलाफ कानून व विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट का नाजायज अतिक्रमण दिखाकर बेदखली के आदेश पारित किये गये है जबकि तहत न्यायालय ने यह नहीं देखा है कि अपीलान्ट खातेदार काश्तकार है तथा कोई समन व नोटिस तामील नही हुये बिना सुनवाई एवं मौका दिये एवं जबाब पेश करने को मौका नहीं देकर एक तरफा आदेश पारित किया जो काबिल निरस्तनीय है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार है एक खातेदार के विरूद्ध उक्त नोटिस की कार्यवाही नहीं चल सकती है। अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अदालत तहत ने यह आदेश पारित किया है जबकि उक्त आराजी पर राजस्व मण्डल अजमेर में आज तक रैफरेंस विचाराधीन है ऐसी सूरत में रैफरेंस के होते हये उक्त आदेश काबिल निरस्तनीय है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट एवं पार्टीवाजी के आधार पर रजिश वश उक्त आदेश जारी कर दिया है। अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी तब हुई जब वह क्रेडिट कार्ड बनवाने दिनांक 25.11.2020 को पटवारी हल्का के पास गया तो उन्होने बताया कि आपके विरूद्ध बेदखली का आदेश दिनांक 27.10.2020 को पारित हो चुका है। दिनांक 26.11.2020 को तहसील से नकल प्राप्त की गई। नकल जारी दिनांक से अन्दर म्याद अपील पेश की गई है। देरी को माफ करने के लिये दफा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्टान ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत नायव तहसीलदार रूदावल के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2020 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश

अति. जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् में पेश हुआ था जिसका निर्णय दिनांक 18.06.2014 को किया जाकर प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया गया था। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा दिनांक 08.08.2018 को निर्णय पारित करते हुये रैफरेस को स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2020 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 47 रकवा 0.54 गैरमुमकिन नाला पर अपीलार्थी किशन सिंह पुत्र दिलीपसिंह द्वारा चरी व ढेचा बोकर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। तहत न्यायालय द्वारा अतिक्रमी को नोटिस जारी किया जाकर सुनवाई की गई एवं नियत तिथि पर अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने और ना ही कोई जबाब पेश करने के कारण हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय किया गया है। अपीलार्थी ने स्वयं को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार बताया है एवं तहत न्यायालय द्वारा की गई 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही को विधि विरूद्ध बताया है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2074 में कॉलम 4 में मांगी किशन पि0 दलीपसिह बहिस्सा 2/3 कौम गूजर रामादेवी पत्नी रमेशचन्द हिस्सा 1/3 कौम बेडिया न0खार मजरा खेडली खातेदार अंकित है एवं इन्तकाल

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

नम्बर 1 दिनांक 21.02.2019 से "सम्पूर्ण खाते पर गैरमुमकिन नाला मकबूजा सरकार स्वीकार हुआ" का अंकन है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त आराजी बाबत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा प्रेषित रैफरेंस प्रकरण को स्वीकार कर विवादित आराजी को गैरमुमकिन नाला दर्ज करने के निर्देश दिये गये है। हाल राजस्व रिकार्ड में चूंकि उक्त आराजी गैरमुमकिन नाला दर्ज है जो सरकारी भूमि की श्रेणी में आती है। सरकारी भूमि पर किया गया अनाधिकृत कब्जा 91 एल.आर.एक्ट की परिधि में आने के कारण तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 27.10.2020 में कोई विधिक त्रुटि हम नहीं पाते है। अ

अतः आदेश है कि:–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली नायव तहसीलदार रूदावल को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)